न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
047/2018 (GCMS 2018/00162)	06.09.2018	03.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

दिनेश कुमार तेली पुत्र श्री कन्हैयालाल (विकेता/मालिक) मोबाईल नंबर 9636284348 मैसर्स बंजरग कॉफी एण्ड नमकीन पुराना बस स्टेन्ड, बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। निवासी चुडीघरों का मोहल्ला, बस्सी जिला चित्तौड़गढ (राज.)।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि देवेन्द्र सिंह राणावत दिनांक 13.10.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे था और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था, और जिला चितौडगढ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2017 को समय 06.40 पीएम पर मैसर्स बंजरग कॉफी एण्ड नमकीन, पुराना बस स्टैन्ड, बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ पर पहुंचें। वहां पर श्री दिनेश कुमार तेली पुत्र श्री कन्हैयालाल (विकेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) व अन्य मिठाई आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे, एवं [illegible] हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह [illegible] की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता श्री दिनेश कुमार तेली पुत्र श्री कन्हैयालाल को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर मौके पर एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) विक्रय हेतु रखा पाया। व्यापारी ने बताया कि उक्त नमकीन पॉम ऑयल एवं मटर आटा आदि से निर्मित है, व आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु रखा गया है, एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना लेने हेतु, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त स्टील की ट्रे में रखे नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) से दो किलोग्राम नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सुखे व खाली स्टील के भगोने में खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 280/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) को हिला मिलाकर एकरूप कर चार बराबर–बराबर भागों में बाँटकर चार प्लास्टिक के जारों में अलग–अलग भरकर प्रत्येक जार में ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-889** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौका पंचनामा पर अंकित किया गया फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2017/4537** दिनांक 01.11.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना वास्ते जॉच क्रय किया गया था, जो कि सब स्टेन्डर्ड होना पाया गया था। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स बंजरग कॉफी एण्ड नमकीन को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जो कि मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4537 दिनांक 01.11.2017 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2018/3670** दिनांक 30.08.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 14.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं हाजिर आया। दिनांक 20.12.2018 को अप्रार्थी ने जवाब पेश किया अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर बताया कि विपक्षी की फर्म से नमकीन का नमूना लिया गया था जो कि सब स्टेन्डर्ड होना पाया गया था मेरी फर्म खाद्य रजिस्ट्रेशन शुदा है, मै एक छोटा व्यापारी हूँ मेरी फर्म का कोई नमूना फेल नहीं पाया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है एवं भविष्य में मै और भी सावधानी पूर्वक काम करूगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी माफ करवायें।

दिनांक 03.02.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आये तथा जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया बताया कि अप्रार्थी छोटा व्यापारी हूॅ मेरी फर्म का पहले नमूना फेल नहीं पाया गया है, एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है एवं भविष्य में मै और भी सावधानी पूर्वक काम करूगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी माफ करवायें। इसी ईश्तदुआ के साथ अप्रार्थी ने अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पुष्टि फर्द पंचनामा से होती है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी और प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 591/Act/2017/566** दिनांक 18.10.2017 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) सब–स्टेन्डर्ड होना पाया गया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The Sample contained in a pet jar.

(ii) Physical appearance:- Yellowish and solid mass in appearance.

(iii) Label :-- Loose Sample of Namkeen in Prepare in Palm Oil. As per form no. VI.

Opinion:- The sample of Namkeen (Prepare in Palm Oil) bearing code no. and serial no. AM- 889 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 50° of extracted fat.is does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के [illegible] प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है [illegible] आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी दिनेश कुमार तेली पुत्र श्री कन्हैयालाल (विकेता/मालिक) मोबाईल नंबर 9636284348 मैसर्स बंजरग कॉफी एण्ड नमकीन पुराना बस स्टेन्ड, बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। निवासी चुडीघरों का मोहल्ला, बस्सी जिला चित्तौड़गढ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त दिनेश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तेली पुत्र श्री कन्हैयालाल (विकेता/मालिक) मोबाईल नंबर 9636284348 मैसर्स बंजरग कॉफी एण्ड नमकीन पुराना बस स्टेन्ड, बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। निवासी चुडीघरों का मोहल्ला, बस्सी जिला चित्तौड़गढ (राज.) को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त जिला चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **03.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:38 IST
Reason: SelfAttested